बड़ौदा कनेक्ट हेतु नियम व शर्तें

1. **परिभाषा :**

इस दस्तावेज में निम्नलिखित शब्दों एवं वाक्यांशों का अर्थ इनके समक्ष दिया गया है जब तक कि इसके संदर्भ अन्यथा इंगित नहीं करते हों.

बैंक का तात्पर्य बैंक ऑफ बड़ौदा की किसी भी शाखा/कार्यालय से है जिसका प्रधान कार्यालय बड़ौदा हाउस, पोस्ट बॉक्स नं. 506, मांडवी, बडौदा-390 006, गुजरात, भारत एवं सी-26, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400 051 में कॉर्पोरेट कार्यालय है.

ई बैंकिंग बैंक की इंटरनेट सेवा है जो अपने रिटेल ग्राहकों को विविध सुविधाएं यथा खाता संबंधी पूछताछ, खाते का विवरण, निधि अंतरण, यूटिलिटी बिलों का भुगतान, भुगतान रोकना, चेक बुक जारी करने हेतु अनुरोध, मांग ड्राफ्ट जारी करने हेतु अनुरोध, अन्य अनुरोध, अलर्ट, वित्तीय मॉडलिंग एवं बैंक द्वारा समय समय पर दी जाने वाली सुविधाएं प्रदान करता है.

प्रयोक्ता से तात्पर्य बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा का लाभ उठाने वाले किसी भी व्यक्तिगत प्रयोक्ता से है और ऐसे प्रयोक्ता की पहचान रिटेल प्रयोक्ता के रूप में की जाती है.

खाता से तात्पर्य प्रयोक्ता के बचत और/अथवा चालू खाता और/अथवा सावधि जमा और/अथवा कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, ऋण खाता अथवा किसी भी प्रकार के खाते से है जो कि बैंक में **ई–बैंकिंग** सुविधा के अंतर्गत उपलब्ध है.

शर्तों का तात्पर्य इस दस्तावेज में दर्शाए गए **ई–बैंकिंग** के उपयोग से संबंधित नियम और शर्तों से है.

2. **शर्तों की प्रयोज्यता** :

शर्तें प्रयोक्ता एवं बैंक के बीच करार को दर्शाती हैं. बॉब ई-बैंकिंग के लिए आवेदन तथा उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न सेवाओं के उपयोग द्वारा प्रयोक्ता इन शर्तों को स्वीकार करता है. ये शर्तें प्रयोक्ता के किसी खाते से संबंधित नियम व शर्तों के अतिरिक्त होंगी.

3. **क) ई–बैंकिंग हेतु आवेदन**

बैंक अपने विवेकाधिकार पर अपने चयनित ग्राहकों को ई-बैंकिंग की सुविधा प्रदान कर सकता है. प्रयोक्ता को वर्तमान में कानूनी रूप से इंटरनेट उपयोगकर्ता होना आवश्यक है अथवा उसके पास इंटरनेट का एक्सेस होने के साथ इसके कार्य प्रणाली से भी अवगत होना आवश्यक है. ई-बैंकिंग संबंधी आवेदन पत्र डाउनलोड अथवा प्रिंट किया जा सकता है, अथवा बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा से प्राप्त किया जा सकता है. उपर्युक्त फॉर्म को प्रयोक्ता द्वारा भरकर तथा इस पर विधिवत हस्ताक्षर करके केंद्रीकृत ई-बैंकिंग प्रभाग, मुंबई अथवा बैंक की किसी भी शाखा में जमा किया जाना है. इंटरनेट बैंकिंग हेतु बैंक द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त होने पर बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित पात्रता मानदंडों के अधीन प्रयोक्ता को इंटरनेट बैंकिंग सुविधा प्रदान की जाएगी. प्रयोक्ता ई-बैंकिंग के अतिरिक्त किसी भी माध्यम से बैंक के कंप्यूटरों में संग्रहित सूचना के लिए अपने खाते को एक्सेस करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को अनुमति नहीं देगा जो उसके/उसके उसके खाते अथवा अवैध एवं अनुचित उद्देश्यों

से संबंधित है. ऐसा करने पर वह समुचित कानून के अंतर्गत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा तथा उसकी ई-बैंकिंग सुविधा वापस ली जाएगी.

ख) बैंक द्वारा प्रयोक्ता को ई-बैंकिंग सुविधा के परिचालन संबंधी अनुदेश उपलब्ध कराए जाएंगे. उपयोगकर्ता, बैंक को उपलब्ध कराए गए निर्देशों की सटीकता एवं इसकी प्रामाणिकता के लिए भी जिम्मेवार है और इसे इंटरनेट बैंकिंग सुविधा के परिचालन हेतु पर्याप्त माना जाएगा. बैंक द्वारा इस निर्देश को अलग से सत्यापित करना नहीं होगा और एक बार प्रदान किए गए निर्देश तब तक प्रभावी होंगे जब तक कि किसी अगले निर्देश द्वारा इसे रद्द ना किया जाए. आरंभिक निर्देशों के क्रियान्वयन को रोकने में असमर्थ होने के संबंध में बैंक की कोई देयता नहीं होगी. बैंक द्वारा इन निर्देशों के असंगत अथवा विरोधाभासी पाए जाने पर प्रयोक्ता से इस विषय में उचित स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है.

4. **सॉफ्टवेयर :**

बैंक द्वारा समय-समय पर ई-बैंकिंग के लिए आवश्यक इंटरनेट सॉफ्टवेयर जैसे ब्राउज़र के बारे में आवश्यक सूचना दी जाएगी. इस इंटरनेट सॉफ्टवेयर के सभी वर्जन का समर्थन करने हेतु बैंक की कोई बाध्यता नहीं होगी. प्रयोक्ता समय समय पर अपने खर्चे पर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एवं ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए उत्तरदायी होगा और बैंक की प्रयोक्ता के सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एवं ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करने की कोई बाध्यता नहीं होगी और यह प्रयोक्ता की ही पूर्ण जिम्मेवारी होगी.

5. **संयुक्त खाते :**

ई-बैंकिंग सुविधा निम्न व्यक्तियों द्वारा रिटेल प्रयोक्ता के रूप में प्रयोग की जा सकती है

1. वैयक्तिक
2. स्वयं, कोई अथवा उत्तरजीवी, कोई भी या उत्तरजीवी अथवा उत्तरजीवी जैसे परिचालन निर्देशों के साथ संयुक्त खाता धारक

इस तथ्य के बावजूद भी कि संयुक्त खाता कोई अथवा उत्तरजीवी/किसी एक या उत्तरजीवी अथवा उत्तरजीवी द्वारा परिचालित है, **ई–बैंकिंग** सुविधा का लाभ उठाने के इच्छुक प्रयोक्ता को ई-बैंकिंग खाते को परिचालित करने हेतु स्वतंत्र रूप से कार्य करने हेतु एक एकल हस्ताक्षरकर्ता को प्राधिकृत करना चाहिए. उपर्युक्त ई-बैंकिंग प्रयोक्ता को सभी प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित प्राधिकार प्रस्तुत करना चाहिए जिन्हें सामान्य परिचालन निर्देशों के अनुरुप खाते को चलाना है.

उपर्युक्त खाते में ई-बैंकिंग के उपयोग से किए गए लेनदेन खाताधारकों के लिए संयुक्त एवं आवश्यक रूप से बाध्यकारी होंगे. उपरोक्त खातेधारकों द्वारा लेनदेन के दौरान हुई किसी हानि/क्षति के लगाए गए लिए बैंक जिम्मेवार नहीं होगा.

6. **नाबालिगों के नाम पर खाते :**

नाबालिगों के लिए खोले गए खातों के मामले में नैसर्गिक अभिभावक द्वारा खाते के संचालन संबंधी सभी निर्देश दिए जाएंगे और वह नाबालिग को प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड नहीं बताने का वचन देगा, ऐसा नहीं करने पर यह अभिभावक के जोखिम पर होगा जिसके परिणामों के लिए वही जिम्मेदार होगा और इस प्रकार हुए किसी

हानि के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा. ऐसे मामले में यह माना जाएगा कि सभी लेनदेन अभिभावक द्वारा किए गए हैं.

7. **सुरक्षा :**

बैंक द्वारा 128 बीट सुरक्षा सॉकेट लेयर का उपयोग करते हुए बैंकिंग सेवा में किसी अनधिकृत एक्सेस को रोकने एवं इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त व समुचित सावधानी बरती जाएगी जो कि इंटरनेट बैंकिंग सेवा के लिए उपलब्ध सुरक्षा का उच्चतम स्तर होगा.

8. **पासवर्ड :**

प्रयोक्ता द्वारा निम्नलिखित को बिना किसी शर्त के स्वीकार करता है/हेतु सहमत है :

i. खाताधारक के आवेदन के अनुमोदन के पश्चात ग्राहक को ई-बैंकिंग सुविधा का उपयोग करने हेतु एक प्रयोक्ता आईडी व पासवर्ड आबंटित किया जाएगा.

ii. आवेदन पत्र में ग्राहक द्वारा दिए गए विकल्पों के अनुसार बैंक द्वारा प्रयोक्ता आईडी एवं पासवर्ड अलग से उसके डाक के पते पर भेजा जाएगा.

iii. इस प्रकार भेजे गए पासवर्ड की जानकारी बैंक कर्मचारी सहित किसी को भी नहीं होगी. प्रयोक्ता आईडी एवं पासवर्ड संबंधी डाक ग्राहक के पास क्षतिग्रस्त रूप में प्राप्त होने पर वे बैंक तत्काल संपर्क करें.

iv. पहली बार ई-बैंकिंग पर एक्सेस करने के समय प्रयोक्ता को संबंधित विकल्प के मार्फत बैंक द्वारा दिए गए पासवर्ड को अनिवार्य रूप से बदलना होगा. प्रयोक्ता अपने जोखिम एवं परिणामों के आधार पर जितनी बार चाहे अपना पासवर्ड बदल सकता है. प्रयोक्ता अपने पासवर्ड की गोपनीयता बनाए रखने के लिए पूर्णतः जिम्मेवार होगा. अधिकृत प्रयोक्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पासवर्ड का दुरुपयोग किए जाने पर बैंक किसी भी स्थिति में जिम्मेवार नहीं होगा.

v. बैंक इस संबंध में प्रयोक्ता आईडी/पासवर्ड के दुरुपयोग अथवा अनधिकृत उपयोग के कारण प्रयोक्ता को हुए किसी नुकसान के लिए कोई भी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है.

vi. प्रयोक्ता द्वारा अपना पासवर्ड भूल जाने पर बैंक से इंटरनेट अथवा शाखा में उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करके नया पासवर्ड प्राप्त किया जा सकता है. ऐसे बदलाव को नए अनुबंध की शुरुआत के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा. ऐसे मामले में बैंक द्वारा उचित समय के अंदर नया पासवर्ड दिया जाएगा. तथापि उस समय तक कोई भी लेनदेन संभव नहीं होगा.

9. **प्रभार :**

ई-बैंकिंग सुविधा के अंतर्गत कोई भी सेवा उपलब्ध कराने हेतु बैंक कोई भी नियत शुल्क की वसूली का अधिकार सुरक्षित रखता है. प्रयोक्ता बैंक को निर्धारित अवधि में इसका भुगतान करने के लिए उसके खाते को नामे करके सेवा प्रभार की वसूली के लिए अधिकृत करता है. तथापि वर्तमान में ई-बैंकिंग सेवाओं के लिए ग्राहकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है. मांग ड्राफ्ट व बैंकर चेक पर कमीशन, डाक व कूरियर जैसे शुल्क ग्राहक द्वारा वहन किए जाते हैं.

10. **डाक का पता :**

सभी पत्राचार/बैंक के किसी भी निर्देश को प्रयोक्ता के बैंक में दर्ज डाक के पते/ई-मेल पते पर साधारण डाक से ही भेजे जाएंगे. इनके प्राप्त न होने पर बैंक इसके लिए जिम्मेवार नहीं होगा.

11. **चेक बुक जारी करना :**

प्रयोक्ता बैंक से एक चेक बुक जारी करने हेतु अनुरोध कर सकता है जिसे बैंक द्वारा आवेदन में दर्शाए पते पर भेजा जाएगा. इससे संबंधित कूरियर शुल्क ग्राहक द्वारा वहन किया जाएगा.

12. **मांग ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के लिए अनुरोध :**

प्रयोक्ता द्वारा मांग ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के लिए अनुरोध किया जा सकता है और मांग ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक को ग्राहक के पते अथवा लाभार्थी के पते पर भेजने का विकल्प चुना जा सकता है. कूरियर/डाक शुल्क, मांग ड्राफ्ट व बैंकर्स चेक संबंधी कमीशन ग्राहक द्वारा वहन किए जाएंगे.

13. **लेनदेन की प्रोसेसिंग :**

तत्काल निधि अंतरण की सुविधा लागू होने के उपरांत सभी फंड ट्रांसफर खाते में तत्काल प्रभावी हो जाएंगे. सभी निर्धारित निधि अंतरण खाते में उपलब्ध शेष राशि की शर्तों के अधीन निर्धारित तिथियों पर किए जाएंगे.

खाता में निर्बंध शेष की उपलब्धता की शर्त्त पर सभी निर्धारित निधि अंतरणों को निर्धारित तारीखों को संपन्न किया जाएगा.

किसी लेनदेन संबंधी निधि अंतरण का आवेदन साप्ताहिक अवकाश/अवकाश अथवा सार्वजनिक अवकाश के दिन प्राप्त होने पर इसे अगले कार्यदिवस पर प्रभावी किया जाएगा.

ग्राहक द्वारा फॉरवर्ड किए जाने के बावजूद बैंक में कोई निर्देश प्राप्त न होने पर प्रयोक्ता द्वारा किसी लेनदेन की प्रोसेसिंग/क्रियान्वयन के लिए बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है.

14. **निधि अंतरण :**

प्रयोक्ता अपने खाते में पर्याप्त धनराशि के बिना अथवा कैश क्रेडिट/ओवरड्राफ्ट के माध्यम से बैंक के साथ पहले से की गई व्यवस्था के बगैर निधि अंतरण के लिए ई बैंकिंग का उपयोग नहीं करेगा/ऐसा प्रयास नहीं करेगा. बैंक द्वारा ई-बैंकिंग के माध्यम से प्राप्त निधि अंतरण लेनदेन को प्रयोक्ता के खाते में पर्याप्त शेष राशि उपलब्ध होने पर ही प्रभावी किया जाएगा.

बैंक के नियंत्रण से बाहर की परिस्थिति के कारण निधि अंतरण में हुई किसी चूक के लिए बैंक जिम्मेवार नहीं होगा.

15. **बिल भुगतान :**

प्रयोक्ता निर्धारित तिथि पर बिलों के भुगतान के लिए अपने खाते में पर्याप्त राशि रखेगा. खाते में पर्याप्त शेषराशि न होने तथा अपने नियंत्रण से परे किसी परिस्थिति के कारण भुगतान न होने के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा जिसमें बैंक की कनेक्टिविटी की समस्या, कंप्यूटर ब्रेकडाउन होने तथा संचार का लिंक न मिलना शामिल है.

बैंक किसी भी प्रकार से निर्धारित समय पर प्रयोक्ता के बिलों का भुगतान नहीं होने के लिए जिम्मेवार नहीं होगा और ब्याज, जुर्माना अथवा ऐसे किसी प्रकार के शुल्क का भुगतान अथवा वहन के लिए केवल केवल प्रयोक्ता ही जिम्मेवार होगा इसके अलावा प्रयोक्ता को सूचना देने हेतु बैंक से अपेक्षा नहीं की जाएगी. सभी प्रकार के विवाद

जैसे बिल का अधिक होना, सेवा अथवा सुविधा का बंद होना, गलत क्रेडिट या डेबिट केवल प्रयोक्ता द्वारा ही निपटाए जाएंगे और बैंक इसके लिए जिम्मेवार नहीं होगा.

16. **बैंक को प्राधिकार :**

प्रयोक्ता के खाते में ई-बैंकिंग लेनदेन की अनुमति प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड के प्रमाणीकरण के बाद ही दी जाती है.

बैंक की प्रयोक्ता से ई-बैंकिंग के माध्यम से प्राप्त अथवा ई-बैंकिंग के माध्यम से प्रयोक्ता द्वारा भेजा गए प्रतीत होने वाले किसी लेन देन, यूजरआईडी एवं लेन देन पासवर्ड के सत्यापन को छोड़, की प्रामणिकता को सत्यापित करने की बाध्यता नहीं होगी.

सुविधा का अवैध अथवा अनुचित प्रयोग करने पर प्रयोक्ता को बैंक द्वारा निर्धारित वित्तीय प्रभार का भुगतान करना होगा अथवा इसका परिणाम ई-बैंकिंग के माध्यम से किए जाने वाले परिचालन को लंबित कर दिए जाने के रूप में सामने आएगा.

ई-बैंकिंग परिचालन के दौरान प्रयोक्ता द्वारा प्रस्तुत डिस्प्ले अथवा मुद्रित आउटपुट को इंटरनेट लेनदेन के परिचालन का रेकॉर्ड माना जाएगा.

17. **सूचना की सटीकता**

प्रयोक्ता ई-बैंकिंग के उपयोग अथवा इलेक्ट्रॉनिक मेल अथवा लिखित संदेश जैसे किसी भी माध्यम से बैंक को दी गई सूचनाओं की सटीकता के प्रति जिम्मेवार है. प्रयोक्ता द्वारा प्रदान की गई किसी गलत सूचना के दुष्परिणामों के संबंध में बैंक का कोई भी दायित्व नहीं होगा. प्रयोक्ता द्वारा आवधिक अंतराल पर सभी विवरणों की शुद्धता की जांच की जाएगी और किसी प्रकार की विसंगतियां पाए जाने पर इस बारे में बैंक को सूचित किया जाएगा. तथापि बैंक इस संबंध में किसी प्रकार की देयता को स्वीकार नहीं करता है.

विवरणों से संबंधित आउटपुट ही खाते का डुप्लीकेट स्टेटमेंट है जिसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तैयार किया जाएगा और इसमें निहित सूचना बैंक के कंप्यूटरीकृत बैक अप सिस्टम से निकाली जाएगी.

यद्यपि बैंक द्वारा किसी स्टेटमेंट (विवरण) की यथार्थता सुनिश्चित करने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, मगर किसी त्रुटि के लिए यह उत्तरदायी नहीं होगा. उपरोक्त आउटपुट में डी गई सूचना के गलत/असत्य पाए जाने के कारण प्रयोक्ता को होने वाली किसी हानि व नुकसान आदि के लिए प्रयोक्ता द्वारा बैंक को क्षतिमुक्त रखा जाएगा.

18. **प्रयोक्ता की देयताएं :**

ई-बैंकिंग खाते में हुए किसी शर्त्तों का उल्लंघन करने अथवा लापरवाही के कारण हुए अनधिकृत लेनदेन से होने वाले नुकसान के लिए केवल प्रयोक्ता ही जिम्मेवार होगा.

ई-बैंकिंग पासवर्ड का लिखित अथवा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखना.

किसी भी नाबालिग, बैंक कर्मचारी सहित किसी को भी ई बैंकिंग पासवर्ड को प्रकट करने से रोकने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करने एवं/अथवा उचित समय के अंदर बैंक को इस प्रकार के प्रकटीकरण से अवगत कराने में विफल होने पर ई-बैंकिंग खाते में हुए अनधिकृत एक्सेस अथवा गलत लेनदेन के संबंध में बैंक को सूचित न करना.

प्रयोक्ता द्वारा किसी प्राकृतिक आपदा, बाढ़, आग लगने एवं अन्य प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं, कानूनी अवरोध, दूरसंचार नेटवर्क या इंटरनेट या नेटवर्क की विफलता, पावर ब्रेकडाउन अथवा यूपीएस ब्रेकडाउन, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के खराब होने एवं/अथवा किसी त्रुटि अथवा बैंक के नियंत्रण से परे किसी अन्य कारणों के लिए बैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है. प्रयोक्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा खाता हैक करने के कारण हुई हानि अथवा क्षति के लिए बैंक जिम्मेवार नहीं होगा जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत साइबर अपराध की परिभाषा के अनुरूप हो. बैंक किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार की क्षति के लिए चाहे ऐसी क्षति प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, आकस्मिक, परिणाम परक हो; अथवा राजस्व, निवेश, उत्पादन, सुनाम, लाभ, व्यापार में अवरोध अथवा अन्य किसी नुकसान जो कि प्रयोक्ता अथवा किसी अन्य व्यक्ति को हुआ हो, ज़िम्मेवार नहीं होगा.

19. **क्षतिपूर्ति** :

ई-बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के कारण अथवा प्रयोक्ता द्वारा दिए गए किसी निर्देश के संबंध में कारण के आधार पर सदस्यता में कोई बैंक द्वारा कार्रवाई करने अथवा करने से मना करने के परिणामस्वरूप सभी कार्रवाई, दावों, मांगों, वादों, हानि, क्षति, लागत, प्रभार तथा खर्च, जो भी बैंक द्वारा समय समय पर वहन किए जाएं, हेतु प्रयोक्ता क्षतिपूर्ति करेगा एवं बैंक को क्षतिमुक्त रखेगा.

20. **व्यक्तिगत सूचना का प्रकटीकरण** :

प्रयोक्ता इससे सहमत है कि बैंक उसकी व्यक्तिगत सूचनाओं को कंप्यूटर पर अथवा ई-बैंकिंग सेवाओं के साथ सांख्यिकीय विश्लेषण एवं क्रेडिट स्कोरिंग के संबंध में प्रोसेस कर सकता है. प्रयोक्ता इससे भी सहमत है कि बैंक किसी अन्य संस्थान को पूरी तरह से विश्वास में लेकर, कोई भी व्यक्तिगत सूचना निम्नलिखित कारणों तक सीमित न रहते हुए प्रकट कर सकता है:

- किसी दूरसंचार अथवा इलेक्ट्रॉनिक समाधान नेटवर्क में भागीदारी
- किसी कानूनी निर्देश का अनुपालन
- मान्यता प्राप्त क्रेडिट रेटिंग/स्कोरिंग एजेंसियों द्वारा क्रेडिट रेटिंग
- धोखाधड़ी निवारण का उद्देश्य

21. **बैंक का ग्रहणाधिकार** :

प्रयोक्ता के खाते, एकल नाम अथवा संयुक्त नाम वाले में धारित वर्तमान जमा अथवा भविष्य की जमा के संबंध में प्रयोक्ता को ई-बैंकिंग सेवा उपलब्ध करवाने अथवा द्वारा इस्तेमाल के परिणामस्वरूप सभी बकाया राशियों की सीमा तक बैंक को समंजन एवं ग्रहणाधिकार का अधिकार होगा, भले ही उस पर कोई अन्य ग्रहणाधिकार, प्रभार मौजूद हो.

22. **मालिकाना हक** :

प्रयोक्ता इसे स्वीकार करता है कि ई-बैंकिंग सेवा के साथ अन्य इंटरनेट संबंधी सॉफ्टवेयर जो कि ई-बैंकिंग को एक्सेस करने हेतु आवश्यक है, संबंधित सॉफ्टवेयर विक्रेताओं की कानूनी संपत्ति है. ई-बैंकिंग का उपयोग करने हेतु बैंक द्वारा प्रदान की गई अनुमति उपरोक्त सॉफ्टवेयर में से किसी के भी स्वामित्व के अधिकारों को व्यक्त एवं

प्रदान नहीं करेगी. प्रयोक्ता द्वारा किसी प्रकार से इस प्रोग्राम में कोई परिवर्तन/छेड़छाड़ अथवा कोई प्रयोग करने का प्रयास नहीं किया जाएगा. प्रयोक्ता द्वारा किसी प्रकार की अवहेलना करने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा प्रयोक्ता, बैंक को हुए किसी नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा. प्रयोक्ता ई-बैंकिंग में निहित किसी सॉफ्टवेयर का संशोधन, इसका अनुवाद करने, हटाने, इसे विघटित करने अथवा रिवर्स इंजीनियर तैयार करने संबंधी कोई कार्य नहीं करेगा. साथ ही सॉफ्टवेयर के आधार पर कोई डेरिएटिव प्रोडक्ट तैयार नहीं करेगा.

23. **नियमों और शर्तों में बदलाव** :

बैंक अपने विवेक से प्रत्येक प्रयोक्ता को पूर्व सूचना दिए बगैर कभी भी किसी भी नियम में संशोधन करने अथवा पूरक नियम बना सकता है . इस प्रकार किए गए परिवर्तन बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे और ग्राहकों से अनुरोध है कि समय-समय पर इसका संदर्भ ग्रहण करें. इन सेवाओं के प्रस्तावित एवं मौजूदा प्रयोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे किसी भी परिवर्तन/संशोधन एवं/अथवा सुधार को नोट करें जिन्हें बैंक द्वारा समय-समय पर इन नियम व शर्तों में शामिल किया जाएगा. बैंक द्वारा समय-समय पर ई-बैंकिंग के अंतर्गत नई सेवाओं की शुरुआत की जा सकती है. ऐसे नए कार्यों और इसकी उपलब्धता बैंक की वेबसाइट पर संशोधित/परिवर्तित ई-बैंकिंग सेवाओं पर लागू शर्तों के साथ प्रदर्शित की जाएगी. इन सेवाओं के उपयोग तात्पर्य है कि प्रयोक्ता इन नियम व शर्तों को मानने के लिए सहमत है.

24. **गैर–हस्तांतरणीयता** :

प्रयोक्ता को उपलब्ध ई-बैंकिंग सुविधा किसी भी परिस्थिति में हस्तांतरणीय नहीं है और इसका उपयोग सिर्फ प्रयोक्ता द्वारा किया जाएगा जो इसके समस्त परिणामों के लिए जिम्मेवार होगा.

25. **ई–बैंकिंग को रद्द करना/समाप्त करना** :

प्रयोक्ता द्वारा कभी भी बैंक को समुचित नोटिस देकर ई-बैंकिंग सुविधा को रद्द करने का अनुरोध किया जा सकता है. बैंक द्वारा ऐसे अनुरोध को स्वीकार करने एवं ई-बैंकिंग सेवा के रद्द किए जाने की सूचना के समय तक ई-बैंकिंग के माध्यम से अपने खाते में किए गए किसी लेनदेन के लिए प्रयोक्ता जिम्मेवार होगा. बैंक द्वारा किसी भी समय ई-बैंकिंग सुविधा को वापस लिया जा सकता है बशर्ते प्रयोक्ता को उचित नोटिस दिया गया हो. प्रयोक्ता के सभी खातों को बंद कर देने से ई-बैंकिंग सेवा स्वतः समाप्त हो जाएगी. प्रयोक्ता द्वारा नियम व शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर अथवा प्रयोक्ता की मृत्यु, उसके दिवालियापन अथवा कानूनी अक्षमता का पता लगाने पर बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के ई-बैंकिंग सुविधा को रद्द अथवा समाप्त कर सकता है.

26. **सूचना** :

बैंक और प्रयोक्ता द्वारा निम्न नियम व शर्तों के अंतर्गत नोटिस दिया जा सकता है :

- इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी के भी मेल-बॉक्स में, ऐसे नोटिस को लिखित माना जाएगा.
- लिखित रूप में स्वयं डिलीवर करके अथवा प्रयोक्ता द्वारा दिए गए अंतिम पते पर डाक द्वारा प्रेषित कर.

इसके अतिरिक्त बैंक अपनी वेबसाइट पर सामान्य प्रकार की सूचना भी प्रकाशित कर सकता है जो कि ई-बैंकिंग के सभी प्रयोक्ताओं के लिए पर लागू होगें. ऐसे नोटिस का प्रभाव वैसा ही होगा जैसा प्रत्येक प्रयोक्ता को व्यक्तिगत रूप से भेजी गई नोटिस प्रिंट मीडिया के किसी समाचार पत्र में प्रकाशित नोटिस का होता है.

27. **नियंत्रक कानून** :

बैंक द्वारा तैयार किए गए प्रयोक्ता के खाते से संबंधित नियम व शर्तें और/अथवा इनका संचालन और/अथवा ई-बैंकिंग के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं का उपयोग भारत में प्रचलित कानूनों, किसी अन्य देश के नहीं, द्वारा नियंत्रित किया जाएगा और जिसका. प्रयोक्ता एवं बैंक सहमत हैं कि इन नियमों और शर्तों के अंतर्गत कोई भी दावा या मामला होने पर इसे मुंबई, भारत के न्यायालयों में प्रस्तुत किया जाएगा.

प्रयोक्ता एवं बैंक के बीच होने वाले विवाद अथवा मतभेद को आपसी परामर्श/विचार विमर्श से सुलझा लिया जाएगा और ऐसा न करने पर इसके लिए मध्यस्थता करायी जाएगी. मध्यस्थता संबंधी कार्यवाही भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार संचालित होगा और इसकी कार्यवाही मुंबई में होगी.

बैंक भारतीय गणराज्य के अलावा किसी भी देश के कानूनों के गैर-अनुपालन अथवा उल्लंघन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार के दायित्व को स्वीकार नहीं करता है. एकमात्र यह तथ्य कि भारत के अलावा किसी अन्य देश में ई-बैंकिंग सेवा इंटरनेट के माध्यम से किसी प्रयोक्ता द्वारा एक्सेस की जा सकती है, का तात्पर्य यह नहीं होगा कि उपर्युक्त देश के कानून द्वारा ही इन नियम व शर्तों को नियंत्रित किया जाएगा. भारत के अलावा किसी भी स्थान के व्यक्ति द्वारा ई-बैंकिंग सुविधा का प्रयोग स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं माना जाएगा और उपर्युक्त प्रयोक्ता को भारतीय गणराज्य के कानूनों के लिए स्वयं को प्रस्तुत करना होगा और केवल भारतीय न्यायालयों का ही इस पर क्षेत्राधिकार होगा.

28. **सामान्य :**

इस करार में शीर्षक खंड केवल सुविधा के लिए है और यह संबंधित खंड के अर्थ को प्रभावित नहीं करते. प्रयोक्ता द्वारा इस करार को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं सौंपा जाएगा.